

**कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़  
शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर**

**विभाग में तृतीय श्रेणी तकनीकी (अकार्यपालिक) अनुरेखक (सिविल) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा**

**--:: संशोधित विज्ञापन ::--**

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2020 दिनांक 29.10.2024 के द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के राज्य स्तरीय पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के माध्यम से लिखित चयन परीक्षा आयोजित कर अनुरेखक (सिविल) के 35 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जिन्हे छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के अधीन एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भरे जाने के निर्देश है। सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी तकनीकी (अकार्यपालिक) अनुरेखक (सिविल) राज्य स्तरीय पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाईट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, परीक्षा संबंधी जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाईट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

**1. रिक्त पदों का विवरण :-**

| स. क्र. | पदनाम           | (अ)                 |     |      |      | (ब)  |     |      |      | (स)   |     |      |      | (द)  | योग |
|---------|-----------------|---------------------|-----|------|------|--|-----|------|------|---|-----|------|------|--|-----|
|         |                 | कुल रिक्त पद संख्या |     |      |      | कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या |     |      |      | कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या |     |      |      | कॉल (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों की संख्या |     |
|         |                 | अना                 | अजा | अजजा | अपिव | अना  | अजा | अजजा | अपिव | अना   | अजा | अजजा | अपिव |  |     |
| 1       | 2               | 3                   | 4   | 5    | 6    | 7  | 8   | 9    | 10   | 11  | 12  | 13   | 14   | 15   | 16  |
| 1       | अनुरेखक (सिविल) | 15                  | 04  | 11   | 05   | 04   | 01  | 03   | 01   | 01  | 0   | 01   | 0    | 01 - HH<br>01- LV,OL,LC,DW,<br>AAV, SLD, MI  | 35  |

HH- (Hard of Hearing) LV- (Low Vision) OL- (One Leg) LC- (Leprosy Cured) DW- (Dwarfism) AAV- (Acid Attack Victims) SLD- (Specific Learning Disability) MI- (Mental Illness)

संभावित परीक्षा तिथि - 02.08.2026

**2. नियम एवं शर्तें -**

**विज्ञापित किये जाने वाले पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता :-**

| 4 | पद का नाम       | वेतन मैट्रिक       |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | 2               | 3                  |
| 2 | अनुरेखक (सिविल) | 19500-62000 लेवल-4 |

**3. अनुरेखक (सिविल) पद की शैक्षणिक योग्यता :-**

- (1) एक विषय के रूप में रेखा चित्र (ड्राईंग) के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण, या
- (2) राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेण्डरी (तक.) प्रमाण पत्र परीक्षा।

4. भर्ती का तरीका –

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-
  - (क) प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
  - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा
  - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हो जैसा कि निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी।
- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीको को छोड़, जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।
- (6) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

5. सेवा में नियुक्ति – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी।

6. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें – सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :-

(एक) आयु –

(क) (I) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु 30 वर्ष पूरी न की हो।

(II) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर का परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 18.01.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 तक अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिये

अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिला कर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी है अथवा रह चुके है, नीचे निविर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये,
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी,
- (तीन) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएंगे, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण -** शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व पदस्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

- (ड) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण -** शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के द्वारा कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो, तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो, अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो अर्थात् -

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें –
- (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
- (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,
- (तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं),
- (पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो,
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवान्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव, आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,
- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा पूर्व में, इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**टीप – (1)** छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अरापत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के उपनियम-8 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

**(2)** किसी अन्य मामले, में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

- (ट) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट प्राप्त करने के उपरांत भी अधिकतम आयु, किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट)1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर का परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 18.01.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 तक अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिला कर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (दो) **शैक्षणिक अर्हतायें** - अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, जैसे कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के अनुसूची-तीन में दर्शित है।

#### 7. निरर्हता -

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी :
- परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वस्थ परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये :
- परंतु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसी कि आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लम्बित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप में अवधारित न कर दिया जाये।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

**8. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा –**

- (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात् भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है, तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

**9. प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती –**

- (1) प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती :-
- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें अनुसूची-तीन के कॉलम (6) में उल्लिखित अनुसार तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।
- (दो) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालो पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें।
- (तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।
- (2) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के नियम-12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया गया हो, उप-नियम (3) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

- (6) ऐसे मामलों, में जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है, और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- (7) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पदों को आरक्षित रखा जायेगा।

10. **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची -**

- (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, दिव्यांग व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हो, मैरिट क्रम में तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगी तथा उक्त सूची की वैधता नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति हेतु सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।
- (2) उपरोक्त उल्लेखित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए चयन समिति, एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष होगी।
- (3) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयारी की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।
- (4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी की वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (6) कोई अभ्यर्थी जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्याग पत्र देने या किन्हीं अन्य कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

11. **चयन की प्रक्रिया :-**

1. उपरोक्त पदों पर चयन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा किया जावेगा, जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयोजित की जावेगी तथा उपरोक्त पदों के मेरिट सूची विभाग को उपलब्ध कराई जावेगी।

2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकार वरीयता प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को होगा।
4. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जाएगा।
6. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
7. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थापना दी जावेगी।
8. जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की तिथि को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना है।
10. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
11. किसी भी वर्ग के पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में स्थिति के अनुसार कमी या वृद्धि हो सकती है।
12. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
13. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
14. प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे जो व्यापम के वेबसाईट से ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं।
15. अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की तिथि को **निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर समस्त प्रमाण-पत्र (अंकसूची)** प्राप्त कर लिया गया हो।
16. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
17. महिलाओं के आरक्षण की गणना छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र. /1-3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार दशमलव के अंक को मान्य नहीं करते हुये केवल पूर्णांकों को लिया गया है।

18. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा), मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 01-1/2017/1-3 दिनांक 11.09.2023 के अनुसार - शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध - भारतीय दण्ड संहिता, 1986 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 493 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जावेगा।
19. दिव्यांगजनों के हेतु आरक्षण के लिए दिव्यांगता (ओएल-एक पैर, बीएल-दोनों पैर, एचएच-ऊंचा सुनने वाला) है, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो, आवेदक को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्रमांक GENS/19341/2025-GAD-3, दिनांक 31.10.2025 अनुसार नियुक्ति के पूर्व संबंधित मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र/ यूडीआईडी कार्ड का परीक्षण/सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

## 12. परिवीक्षा -

- (1)(क) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश 21/2020) एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 571/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 12.09.2023 (वित्त निर्देश 33/2023) द्वारा संशोधित वित्त निर्देश अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत जारी निर्देश अनुसार सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 03 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा तथा परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित किया जायेगा।
- (ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा की कालावधि में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिए वृद्धि की जा सकेगी।
- (ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में यदि नियुक्त प्राधिकारी की राय हो कि किसी विशेष अभ्यर्थी के उपयुक्त कर्मचारी बनने की संभावना नहीं है तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1/3 दिनांक 29.11.2012 दिये गये निर्देशानुसार में अजा वर्ग के लिये 12% अजजा 32% अपिव 14% का आरक्षण रखा गया है। राज्य स्तरीय पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश की अध्याधीन होगी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार पदों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।”

नोट - परीक्षा संचालन सम्बंधी व्यापम का नियम तथा परीक्षा पाठ्यक्रम, व्यापम की वेबसाइट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर देखा जा सकता है।

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,  
नवा रायपुर अटल नगर